रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 11, 2019/ज्येष्ठ 21, 1941
No. 349]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 11, 2019/JYAISTHA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2019

सं. 23/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 416 (अ).— जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "पॉली विनाइल क्लोराइड (रेसिन) सस्पेंशन ग्रेड" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 जून, 2014, जिसे सा.का.नि. 405 (अ), दिनांक 13 जून, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जो कि चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉली विनाइल क्लोराइड (रेसिन) सस्पेंशन ग्रेड' के आयात से संबंधित है, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/14/2018-डीजीटीआर, दिनांक 29 अक्तूबर, 2018, जिसे दिनांक 29 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और इस प्रतिपाटन शुल्क को उक्त अधिनियम की धारा 9क की

उप-धारा (5) के अनुसार इस समीक्षा के विचाराधीन रहने के कारण इसको दो माह और अर्थात 12 अगस्त, 2019 तक बढ़ाने के लिए सिफारिश की है ;

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 जून, 2014, जिसे सा.का.नि. 405 (अ), दिनांक 13 जून, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा :-

"**3.** पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट क्र.सं. 4, 11 से 28 तथा 32 से 34 में आयात होने वाले विषयगत माल पर लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क, 12 अगस्त, 2019 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगा, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है तो"

[फा.सं. 354/70/2007-टीआरयू (पार्ट. II)]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2019

No. 23/2019-Customs (ADD)

G.S.R. 416(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 07/34/2018-DGTR, dated the 29th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th October, 2018, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Poly Vinyl Chloride (Resin) Suspension Grade' originating in or exported from China PR, Thailand and USA, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/2014-Customs (ADD), dated the 13th June, 2014, concerning imports of 'Poly Vinyl Chloride (Resin) Suspension Grade' originating in or exported from China PR, Thailand and USA, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.405 (E), dated the 13th June, 2014, and has recommended for extension of anti-dumping duty for two months, till the 12th August, 2019 in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2014-Customs (ADD), dated the 13th June, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 405 (E), dated the 13th June, 2014, namely: —

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: —

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed on the subject goods specified against serial numbers 4, 11 to 28, and 32 to 34 of the TABLE above in, shall remain in force up to and inclusive of the12th August 2019, unless revoked earlier."

[F. No. 354/70/2007-TRU (Pt. II)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.11 20:06:52 +05'30'